फोनः 05278 245957
फैक्सः 05278 248123

डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या

संख्या : लो0अ0वि0 / सम्ब0 / 2019 / 698 दिनांकः 29–06–2019

सम्बद्धता आदेश

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथासंशोधित) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन माननीय कुलपति जी के आदेश **दिनॉक 29–06–2019** के अनुपालन में **मनीषी महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गौरीगंज, अमेठी को परास्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत गृहविज्ञान एवं हिन्दी विषयो में** स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित किये जाने हेतु मानक पूर्ण न होने के कारण निम्नलिखित शर्तों के अधीन **अन्तिम रूप से** शैक्षिक **सत्र 2019–20 हेतु सम्बद्धता विस्तरण प्रदान किया जाता है।**

1. **महाविद्यालय को अगले शैक्षणिक सत्र से पूर्व फरवरी माह में नियमानुसार निर्धारित पैनल शुल्क जमा करते हुए स्थाई सम्बद्धता हेतु निरीक्षण मण्डल गठित करने हेतु आवेदन किया जाना अनिवार्य होगा। निरीक्षण मण्डल की मॉग न किये जाने तथा सम्बद्धता मानक पूर्ण न होने की दशा में उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 की धारा 37 में उल्लेखित प्राविधानों के अन्तर्गत 30 जून, 2020 के पश्चात सम्बद्धता वापस ले ली जायेगी।**
2. महाविद्यालय द्वारा अवस्थापना सम्बन्धी मानक तथा पूर्व में निर्गत सम्बद्धता प्रदान करने सम्बन्धी आदेश में उल्लिखित शर्तें पूर्ण किया जाना अनिवार्य है।
3. संस्था का पंजीकरण अद्यावधिक हो तथा महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति विश्वविद्यालय द्वारा अद्यतन अनुमोदित हो।
4. विश्वविद्यालय की गत वर्ष की वार्षिक परीक्षाओं में महाविद्यालय सामूहिक नकल में आरोपित न हो।
5. मानकानुसार अनुमोदित / कार्यरत् शिक्षकों को महाविद्यालय द्वारा नियमित रूप से बैंक के माध्यम से सम्बन्धित शिक्षकों के बैंक खातों में वेतन भुगतान किया जा रहा हो।
6. संस्था / महाविद्यालय शासनादेश संख्याः 2851 / सत्तर–2–2003–15(92) / 2002 दिनांक 2 जुलाई, 2003 मे उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय मे समय–समय पर अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
7. संस्था / महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की अधिनियम / परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित न किये जाने की दशा में उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
8. संस्था / महाविद्यालय को सम्बद्धता आदेश महाविद्यालय द्वारा प्रमाणित प्रपत्रों एवं सूचनाओं के आधार पर जारी किया जा रहा है। प्रमाणित प्रपत्रों / सूचनाओं के असत्य पाये जाने की दशा में महाविद्यालय को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
9. संस्था / महाविद्यालय द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली / अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेश का पालन सुनिश्चित करेगी।
10. संस्था / महाविद्यालय द्वारा शासनादेश संख्या–421 / सत्तर–1–2015–16(20) / 2011, दिनॉक 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रकिया सुनिश्चित की जायेगी।
11. प्रत्येक वर्ष **AISHE** के **PORTAL** पर **DCF-II** से सम्बन्धित सूचनाएं अपलोड कराना अनिवार्य होगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्धक, **मनीषी महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गौरीगंज, अमेठी।**
2. परीक्षा नियन्त्रक, डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।
3. निजी सचिव कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ।
4. प्रोग्रामर, ई0डी0पी0 सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं कालेज लाग–इन पर अपलोड कराये जाने हेतु।

कुलसचिव

092